मु.मंत्री ने भ्रष्टाचार के 5 मामलों में 7 अफसरों पर केस चलाने को मंजूरी दी

मु.मंत्री भजनलाल ने भ्रष्टाचार के 13 प्रकरणों का निस्तारण किया

जयपुर, 18 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के लम्बे समय से विचाराधीन 13 प्रकरणों का निस्तारण किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक

- **मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने को प्रतिबद्ध है।**

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा

प्रकरण में सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन रोकने तथा 3 प्रकरणों में सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रुल्स, 1958 के नियम 16 के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का निर्णय किया। साथ ही, उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम-2018 के अंतर्गत प्रस्तुत 5 प्रकरणों में 7 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन को भी स्वीकृति भी प्रदान की।

शर्मा ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध संचालित 3 प्रकरणों में दोष सिद्धि के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया। वहीं एक अधिकारी को सी.सी.ए. नियम 23 में परिनिन्दा के दंड से बरी किया।

'नवीं फेल बेटे को बिहार का राजा बनाना चाहते हैं लालू'

पटना, 18 मार्च। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके बेटे ने 9वीं भी पास नहीं की है लेकिन उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका पुत्र बिहार का राजा बन जाये।

किशोर ने मंगलवार को लालू का उदाहरण देते हुए जनता से कहा कि उन्हें लालू से सीखना चाहिए कि बच्चों की चिंता क्या होती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू का बेटा 9वीं पास भी नहीं है, फिर भी

- **प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर कटाक्ष कर जनता से कहा लालू से सीखना चाहिए बच्चों की चिंता क्या होती है।**

उन्हें इस बात की चिंता है कि उनका बेटा बिहार का राजा बन जाए। उन्होंने कहा कि मैं लालू की शिकायत नहीं कर रहा हूं, उनकी तारीफ कर रहा हूं कि लालू बहुत अच्छे पिता हैं। उन्होंने कहा, दूसरी तरफ बिहार के आम लोग हैं जिनके बच्चों ने बीए-एमए कर लिया है, फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम लोगों को इसकी चिंता नहीं है। अभी भी बिहार के लोग जाति और धर्म में उलझे हुए हैं।

'एकता की ताकत का विराट प्रदर्शन था महाकुंभ'

प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ पर दिए वक्तव्य में महाकुंभ की सफलता के लिए देशवासियों का आभार जताया

नयी दिल्ली, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रयागराज में गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में हुए महाकुंभ को भारत के विराट स्वरूप का दर्शन बताया है और कहा है कि यह पूरे विश्व में बिखराव की स्थितियों के दौर में एकता की ताकत का विराट प्रदर्शन था जिसे हमें निरंतर मजबूत करना है।

- **प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने यह महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक एक साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की यह सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है।**

मोदी ने लोकसभा में महाकुंभ पर मंगलवार को वक्तव्य दिया और इसके सफल आयोजन के लिए उसमें शामिल सभी लोगों का आभार ज्ञापन किया। उन्होंने कहा, आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि-कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के, सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देशभर के श्रद्धालुओं को, उत्तर प्रदेश की जनता विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं।

मोदी ने कहा कि महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। यह जो राष्ट्रीय चेतना है, यह जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, यह नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं-आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है, जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने यह महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक एक साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की यह सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है।

प्रधानमंत्री ने कहा, हमने करीब डेढ़ महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा-असुविधा की चिंता से ऊपर उठते हुए, कोटि-कोटि श्रद्धालु, श्रद्धा-भाव से जुटे यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन यह उमंग, यह उत्साह सिर्फ यही तक सीमित नहीं था। बीते हफ्ते मैं मॉरीशस में था, मैं त्रिवेणी से, प्रयागराज से महाकुंभ के समय का पावन जल लेकर गया था। जब उस पवित्र जल को मॉरीशस के गंगा तालाब में अर्पित किया गया, तो वहां जो श्रद्धा का, आस्था का, उत्सव का, माहौल था, वह देखते ही बनता था। यह दिखाता है कि आज हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों को आत्मसात करने की, उनका उत्सव मनाने की भावना कितनी प्रबल हो रही है।

उन्होंने कहा, मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ ने का जो क्रम है, वह भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ ी है, ये कितने श्रद्धा-भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है।

'आधार कार्ड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के मुद्दे पर निर्णय लिया गया।

इस बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट कई आदेश और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 23 और संविधान के अनुछेद 326 के अनुसार भारत के चुनाव में भारतीय नागरिक ही मतदान कर सकता है। बैठक में यह भी कहा गया कि आधार कार्ड ही एक भारतीय नागरिक का पहचान पत्र है। इसलिए आधार कार्ड को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा जाना अनिवार्य है।

जारी प्रेस नोट के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और भारतीय निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञों के बीच परामर्श जारी है और जल्दी ही दोनों पहचान पत्रों को जोड़ने / लिंक करने की कार्यवाही शुरू होगी।

एसआई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लिखित परीक्षा की दोनों पारियों के दौरान "ब्लूटूथ डिवाइस" के माध्यम से पेपर पढ़ाया, जिसके कारण मोनिका ने उक्त परीक्षा के हिन्दी विषय में 200 में से 184 अंक पाये और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 161 अंक प्राप्त किये। एसओजी के अनुसार मोनिका और पौरव कालेर के बीच परीक्षा पास करने के लिये 15 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था।

प्रेस नोट के अनुसार मोनिका को उप निरीक्षक पुलिस भर्ती परीक्षा-2021 की मैरिट लिस्ट में 34वां पद मिला था। हैरानी की बात है कि उनके लिखित परीक्षा में पाये गये अंकों के विपरीत मोनिका को साक्षात्कार में मात्र 15 अंक मिले थे, जिस वजह से उन पर शक गहराता गया।

8 व 9 अप्रैल को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तरीके से चलाते रहेंगे तथा पार्टी पर उनका नियंत्रण बना रहेगा।

एक अन्य नेता की टिप्पणी थी कि रायपुर एआईसीसी अधिवेशन में लिया गया कोई भी निर्णय क्रियान्वित नहीं हुआ, तथा इससे पहले, उदयपुर में लिये गये निर्णयों का भी यही हश्र हुआ था। तो फिर, इस अधिवेशन से भी क्या फर्क पड़ेगा।

राहुल ने अब प्रस्तावित किया कि जिला कांग्रेस कमेटियाँ ताकतवर होनी चाहिये, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिये तथा उन्हें सत्ता के ढ़ाँचे का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।

इसलिये, 27 एवं 28 मार्च तथा 3 अप्रैल को मीटिंग बुलाई गई हैं, जिनमें सारे देश की जिला कांग्रेस कमेटियों को चर्चा के लिये बुलाया गया है।

अगर अतीत को संकेत माना जाये, तो देखना यह होगा कि यह विचार तथा प्रस्ताव किस हद तक क्रियान्वित होता है। पार्टी नेता एवं कार्यकर्ता उन तौर-तरीकों से हताश हो चुके हैं, जिनसे पार्टी चलाई जा रही है, तथा उनका मनोबल दिन-पर -दिन कम होता जा रहा है।

दिन भर हंगामे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के लिये स्थगित कर दी।

इससे पहले, राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की कटु आलोचना की तथा कहा, "जो युवा महाकुम्भ में गये थे, वे प्रधानमंत्री से रोजगार भी चाहते हैं।

उन्हें सदन में रोजगार के बारे में बोलना चाहिये था।"

इस बात को दृढ़तापूर्वक कहते हुये कि प्रधानमंत्री के बाद, नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये थी, उन्होंने कहा, "मुझे नहीं बोलने दिया गया। यह "नया भारत" है।"

इन्हीं विचारों और भावनाओं को शब्द देते हुये, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, "नेता प्रतिपक्ष को बोलने देना चाहिये था। महाकुम्भ के विषय में विपक्ष की भी भावनाएं है और इसमें (सरकार को) कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।"

'भारत ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोयाबीन पर जवाबी टैरिफ लगा दिया है ताकि अमेरिकन बिज़नैस मैन व किसानों को ट्रम्प के खिलाफ जाने के लिए दबाव में लिया जा सके। इसी के साथ, वह विदेशी कम्पनियों को देश भारी छूट व राहत देने की पेशकश भी कर रहा है। टैक्स में छूट और सब्सिडी, नियमों में ढील आदि। इस प्रकार वह ग्लोबल सप्लाई चेन के केन्द्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। चीन ईरान और ब्रिक्स देशों के साथ भी संबंध मजबूत कर रहा है और पश्चिमी प्रभुत्व को दरकिनार करने के लिए वैकल्पिक फ्रेमवर्क बना रहा है।

घरेलू उपभोग बढ़ाना और निर्माण को बढ़ावा देना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेड पार्टनरशिप में विविधता, फ्री ट्रेड एग्रीमैंट्स में तेजी, खासकर उभरते हुए बाज़ारों में, भारत को, अमेरिका के संरक्षणवाद का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। भारत को रूपए में व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी।

इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर्स, एआई और इलैक्ट्रिक वीकल में तकनीकी आत्मनिर्भरता लाने को प्राथमिकता दी जाए। भारत को उन कम्पनियों को आकर्षित करना चाहिए जो चीन का विकल्प ढूंढ रही हैं।

ईडी ने राबड़ी देवी से चार घंटे पूछताछ की, अब लालू की बारी है

पहली बार लालू के पुत्र तेज प्रताप यादव से भी ईडी ने पूछताछ की

पटना, 18 मार्च। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पुत्र व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को लंबी पूछताछ की।

- **तेज प्रताप यादव से 5 घंटे तक पूछताछ की गई।**
- **लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपनी सांसद पुत्री मीसा भारती के साथ ईडी कार्यालय पहुँचीं।**

राबड़ी देवी से करीब चार घंटे जबकि तेज प्रताप यादव से पांच घंटे तक ईडी की पूछताछ चली। इस मामले में 19 मार्च को पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद से भी पूछताछ संभव है।

प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ दिनों पहले ही राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में पूछताछ के लिए समन जारी किया था।

तेज प्रताप यादव को ईडी की ओर से पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था। समन के आधार पर पहले राबड़ी देवी अपनी सांसद पुत्री डॉ. मीसा भारती के साथ गांधी मैदान स्थित प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची।

तेज प्रताप इसके करीब एक घंटे के बाद पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। दोनों को अलग-अलग कमरों में बिठा कर पूछताछ की गई।

प्रवर्तन निदेशालय ने राबड़ी देवी से यह जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किया कि उन्होंने नौकरी के बदले जमीन अपने नाम कैसे कराई।

जिन लोगों को नौकरी देकर जमीन प्राप्त की गई उन्हें राबड़ी देवी या उनका परिवार कैसे जानता था। क्या संबंधित लोगों से लालू परिवार के लोग पूर्व परिचित थे।

राबड़ी देवी से यह भी पूछा गया कि पहली बार उन्होंने जमीन देने वालों से कब मुलाकात की। संबंधित लोगों को नौकरी देने के लिए उन्होंने क्या रेल मंत्री और अपने पति लालू प्रसाद से कोई पैरवी की थी।

सूत्रों के अनुसार ईडी की टीम ने राबड़ी देवी से तेजस्वी यादव के दिल्ली स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी के बंगले, पटना के सगुना मोड़ स्थित अपार्टमेंट की जमीन और उसके निर्माण के साथ ही निर्माण में लगी राशि के स्त्रोत के बारे में भी सवाल किए गए।

सूत्र बताते हैं कि राबड़ी देवी ने अधिकांश सवालों को उन्हें जानकारी नहीं कहकर टाल दिया। दूसरी ओर तेज प्रताप से भी ईडी अधिकारियों ने केस के संबंध में कई सवाल पूछे और जानने की कोशिश की कि उन्हें जमीन के बदले नौकरी घोटाले के बारे में पहली बार कब जानकारी मिली।

उनके पिता और अन्य रिश्तेदारों की मिलीभगत के बारे में भी सवाल पूछे गए।

पूछताछ के बाद दोनों जब ईडी दफ्तर से बाहर आए तो इन्होंने मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया।

यूक्रेन व रूस...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ओडेसा" बंदरगाह को भी रूस को सौंपने के लिए ट्रम्प मान गए हैं। यह यूक्रेन के लिए मौत की सज़ा की तरह है, क्योंकि इसी बंदरगाह से यूक्रेन का अधिकतम आयात-निर्यात होता है।

ऐसा लगता है कि ट्रम्प पर पुतिन का जादू पूरी तरह ये चल गया है। पुतिन को खुश करने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

इन घटनाक्रमों के संदर्भ में पश्चिमी यूरोपिय देश एक साथ बैठकर चर्चा कर रहे है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे क्या कर सकते हैं। इन देशों में खासकर पोलैंड, लाटविया, फिनलैंड व कई अन्य छोटे देश हैं, जो रूस से खतरा महसूस कर रहे है।

कुछ खबरों के अनुसार, अमेरिका, पश्चिमी यूरोपियन देशों को दी हुई नाटो सुरक्षा गारंटी वापस ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये देश रूस के निशाने पर आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका की सहायता के बिना ये अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं।

ट्रम्प और पुतिन की वार्ता के बीच यूरोपियन यूनियन भी ब्रसेल्स में मीटिंग कर कुछ रणनीतियों पर काम कर रही है। हालांकि, उनके पास सुरक्षा सामर्थ्य नहीं है।

ट्रम्प के समझौते से यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है।

'हरेक बूथ के मतदान आकड़ों का खुलासा करने पर विचार करें'

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया

नयी दिल्ली, 18 मार्च। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह बूथवार मतदान के आंकड़े और वहां डाले गए मतों की संख्या से संबंधित फॉर्म 17 सी जारी करने के याचिकाकर्ताओं के अनुरोध पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने इस संबंध में याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन (एनजीओ), एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स फॉर कॉमन कॉज तथा अन्य को चुनाव आयोग से 10 दिनों में संपर्क करने की अनुमति दी।

चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पीठ के समक्ष कहा कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि नये मुख्य चुनाव आयुक्त से मिल सकते हैं। इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा।

एनजीओ की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की गणना के अनुसार मतों की संख्या और वास्तविक मतदान के बीच विसंगतियां हैं। उन्होंने पूछा कि क्या नागरिकों को यह बुनियादी आंकड़ा जानने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग को अंतिम सूची में विसंगति के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल उठाया है, वह एक बड़ा मुद्दा है।

- **एसोसिएशन फॉर डैमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज व अन्य, जिन्होंने इस मामले पर याचिकाएं दायर की हैं, से कहा है कि 10 दिन में चुनाव आयोग से संपर्क करें।**
- **चुनाव आयोग ने मई, 2024 में अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि वेबसाइट पर फॉर्म 17सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों का लेखा-जोखा) अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। आयोग ने कहा कि इससे 'काफी असुविधा और अविश्वास' पैदा हो सकता है।**

चुनाव आयोग ने मई, 2024 में अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया था कि वेबसाइट पर फॉर्म 17सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा डाले गए मतों का लेखा-जोखा) अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है। आयोग ने कहा कि इससे 'काफी असुविधा और अविश्वास' पैदा हो सकता है।

आयोग ने यह भी दावा किया कि अंतिम मतदाता मतदान आंकड़े में 5 से 6 फीसदी की वृद्धि के संबंध में लगाए गए आरोप 'भ्रामक और निराधार' थे। उसने यह भी कहा कि फॉर्म 17सी के संपूर्ण खुलासे से पूरे चुनावी क्षेत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

हलफनामे में कहा गया है, 'फिलहाल, मूल फॉर्म 17सी केवल स्ट्रांग रूम में उपलब्ध है और इसकी एक प्रति केवल मतदान एजेंटों के पास है (जिनके हस्ताक्षर उस पर हैं।), इसलिए प्रत्येक फॉर्म 17सी और उसके धारक के बीच सीधा संबंध है।

आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि उम्मीदवार या उसके प्रतिनिधि के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को फॉर्म 17सी प्रदान करने का कोई कानूनी आदेश नहीं है।

मोदी ने विशेष ओलंपिक पदक विजेता एथलीटों से मुलाकात की

नयी दिल्ली, 18 मार्च। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीटों से संसद भवन में मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।

मोदी ने आज सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मुझे अपने एथलीटों पर बहुत गर्व है जिन्होंने इटली के ट्यूरिन में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में 33 पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है।

उन्होंने संसद में भारतीय एथलीट दल से मुलाकात की और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें बधाई दी। विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों के पदक विजेता एथलीटों से मुलाकात करने की फोटो साझा करते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की है।

उल्लेखनीय है कि इटली के ट्यूरिन हुए विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारतीय दल ने आठ स्वर्ण, 18 रजत और सात कांस्य सहित कुल 33 पदक जीते है।

सुप्रीम कोर्ट के जज मणिपुर जाएंगे

नयी दिल्ली, 18 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति बी आर गवई के नेतृत्व में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का एक समूह मणिपुर 22 मार्च को मणिपुर में राहत शिविरों का दौरा करेगा।

न्यायाधीशों के समूह में न्यायमूर्ति सूर्य कांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश, न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन, न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह शामिल हैं। यह समूह उच्च न्यायालय के द्विवार्षिक समारोह के अवसर पर वहां जा रहा है।

शीर्ष अदालत एक अधिकारी के अनुसार 03 मई-2023 की विनाशकारी सांप्रदायिक हिंसा के लगभग दो साल बाद कई लोग मणिपुर में राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। इस हिंसा के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए।

अधिकारी ने कहा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का यह दौरा इन प्रभावित समुदायों को कानूनी और मानवीय सहायता की निरंतर आवश्यकता को उजागर करता है।

इस दौरे के दौरान न्यायमूर्ति गवई मणिपुर के सभी जिलों में विधिक सेवा शिविरों और चिकित्सा शिविरों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वह इंफाल पूर्व, इंफाल पश्चिम और उखरुल जिलों में नए विधिक सहायता क्लीनिकों का भी उद्घाटन करेंगे।

मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) को आवश्यक राहत सामग्री वितरित की जाएगी। विधिक सेवा शिविर आईडीपी को सरकारी कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवा, पेंशन, रोजगार योजनाओं और पहचान दस्तावेज पुनर्निर्माण जैसे महत्वपूर्ण लाभों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी।

24 दलितों की हत्या के मामले में 44 साल बाद मिली फांसी की सजा

आरोपी तीनों डकैत फांसी की सजा सुनकर रोने लगे

मैनपुरी, 18 मार्च। दिहुली गांव में 1982 में हुए नरसंहार में 24 दलितों की हत्या के मामले में 44 साल बाद पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। मंगलवार को स्पेशल डकैती कोर्ट की एडीजे इंद्रा सिंह ने तीन दोषियों कप्तान सिंह, रामसेवक और रामपाल को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस सजा को सुनते ही तीनों दोषी रोने लगे। दूसरी तरफ पीड़ित परिवारों ने कहा है कि देर से ही सही, लेकिन कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। एक आरोपी फरार है, जबकि इस केस के 13 आरोपियों की मौत हो चुकी है।

- **पीड़ितों ने कहा देर से ही सही पर उन्हें न्याय मिला है।**
- **यह मामला 1981 का है जब 18 नवम्बर को डकैतों ने बदले की भावना से 24 दलितो की हत्या कर दी थी। इसमें 17 लोग गिरफ्तार हुए थे 13 की मौत हो चुकी है, एक फरार है व तीन को फांसी की सजा मिली है।**

यह मामला मुखबिरी और गवाही से जुड़ा था, जिसमें डकैतों ने बदले की भावना से दलितों के गांव पर हमला बोल दिया था। बताया जाता है, 18 नवंबर 1981 को डकैत राधेश्याम उर्फ राधे और संतोष उर्फ संतोषा के गिरोह ने दिहुली गांव में 24 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतकों में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल थे। इस घटना के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी समेत कई बड़े नेता पीड़ित परिवारों से मिलने दिहुली गांव पहुंचे थे। इस मामले में कुल 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 13 की मौत हो चुकी है और एक आरोपी फरार है।

शुरुआत में यह मामला फिरोज़ाबाद जिले के थाना जसराना में दर्ज हुआ था, लेकिन बाद में मैनपुरी जिला बनने पर केस को यहां स्थानांतरित कर दिया गया। 44 साल तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को अदालत ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

फैसला सुनते ही तीनों दोषी रो पड़े। एक दोषी कप्तान सिंह ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़ित परिवारों ने फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें 44 साल बाद ही सही, न्याय मिला है। नरसंहार में अपने बाबा, पिता और चाचा को खोने वाले ज्ञान सिंह ने बताया कि जब वह इस घटना के बारे में सुनते हैं तो उनके आंसू रुकते नहीं हैं। वहीं, मीना देवी ने कहा कि फैसला आने में देरी हुई है और अब तो उनके आंसू भी सूख चुके हैं।

पांच वर्षीय बालिका से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी

भोपाल, 18 मार्च। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की एक अदालत ने लगभग छह माह पूर्व पांच वर्षीय एक बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को आज फांसी की सजा सुनायी। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी की मां और बहन को दोषी पाए जाने पर दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने अभियुक्त अतुल निहाले को दोषी पाए जाने पर फांसी की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही आरोपी की मां और बहन को साक्ष्य छिपाने का दोषी पाए जाने पर दो-दो वर्ष के कारावास और एक-एक सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 24 सितंबर 2024 को पीडिता की मां भोपाल के थाना शाहजहानाबाद में अपनी पांच वर्ष की अबोध बच्ची के गुम हो जाने की सूचना दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पुत्री 24 सितंबर की दोपहर लगभग 12 बजे अपनी दादी के साथ बडे पापा के फ्लैट में गई थी।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **अजमेर कार्यालय:** राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908